

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

51

क्रमांक : प.1(23)गृह-12/कारा/1994

जयपुर, दिनांक 31.07.2015

:: आदेश ::

श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उपाधीक्षक, जिला कारागृह, पाली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2015 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने बाबत निवेदन किया है।

श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उपाधीक्षक, जिला कारागृह, पाली का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत राज्य सेवा से दिनांक 01.08.2015 से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्मिक विभाग की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में कोई विभागीय जांच/प्राथमिक जांच/शिकायत/एफ.आई.आर. विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

६४

(कृष्ण कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय गृह मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक स्था./प्रथम/नि.प. /15808 दिनांक 12.06.2015 के क्रम में।
5. उप महानिरीक्षक कारागार रैंज, जोधपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं वेलफेयर, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग।
9. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उपाधीक्षक, जिला कारागृह, पाली।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

६५
शासन उप सचिव